

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

29 / 2024
29.05.2024

भरतराज पुत्र चतुर्भुज मीणा निवासी ग्राम सारंगपुरा, ग्राम पंचायत रामसागर
तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....अपीलांत

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 29.01.2024
मिसल नम्बर 686 / 2024

- उपस्थिति : (1) श्री भागचन्द बैरवा, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक: 12/12/24

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2024 के द्वारा अपीलान्त को भूमि आराजी खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम गुराई किस्म चारागाह पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांत को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 3.20 रुपये का 50 गुणा जुर्माना कुल 160 रुपये आयद करने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के



प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी तथा बिना तामील के उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट की उपस्थिति के बाबत कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया और अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट काशतकार पेशा व्यक्ति नहीं है, ना ही अपीलान्ट खेती करना जानता है। अपीलान्ट का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट के खिलाफ उसके भाई-बन्धु द्वारा झूठी शिकायत करते हुए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण नहीं किया। अपीलान्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तथा वर्तमान में तारा की कूट लक्ष्मीनगर में किराये से रहकर लोको-पायलेट की तैयारी कर रहा है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। हलका पटवारी ने बिना मौके पर गये ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी तथा अपीलान्ट को हलका पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट का निर्णय दिनांक 29.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की चस्पादगी से प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1414 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम गुराई किस्म चारागाह पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर फसल काशत कर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं



हुआ है। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार नगरफोर्ट से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नगरफोर्ट ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1357 दिनांक 06.12.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट के निर्णय दिनांक 29.01.2024 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलाण्ट को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।



आज दिनांक 12.12.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

DCL
(सामरतम सोकरिया)
अतिरिक्त न्यायालय,
आति.जिला, कलेक्टर,
दोष
दोष